भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4054
28.03.2022 को उत्तर के लिए

पश्चिमी घाटों का मूल्यांकन

4054. डॉ. शशि थरूर :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पश्चिमी घाटों और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील घोषित हिस्सों का नियमित मूल्यांकन करती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील घोषित किए गए क्षेत्र का प्रतिशत कितना है; और

(ख) क्या सरकार को लगता है कि केरल में बाढ़ के मद्देनजर वर्ष 2011 की माधव गाडगिल समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने की आवश्यकता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख): केंद्र सरकार द्वारा पश्चिमी घाट में आने वाले किसी भी क्षेत्र को अभी तक पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील घोषित नहीं किया है। हालांकि, डॉ. के. कस्तूरीरंजन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कार्यदल (एचएलडब्ल्यूजी) की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 3 अक्टूबर, 2018 को सा. आ. 5135(अ) के द्वारा पश्चिमी घाटों को पारि-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित करने के लिए एक प्रारूप अधिसूचना जारी की गई है। उच्च स्तरीय कार्यदल (एचएलडब्लयूजी) का गठन 17 अगस्त, 2012 को किया गया था ताकि अन्य बातों के साथ-साथ पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का समग्र और बहुविषयी आचरण का परीक्षण किया जा सके। एचएलडब्ल्यूजी की सिफारिश में छः राज्यों यानि गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु शामिल हैं जो 59,940.7 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को कवर करते हैं। इस प्रारूप अधिसूचना की वैधता 30 जून, 2022 तक हैं।

*****